राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3773/2022

अनिता नागर

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 29.09.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थापित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा सीएचसी, भणियाणा, सांकडा, जैसलमेर से सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना किसी कारण के आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–1) की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है, जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य अनुचित एवं विधि के विरूद्ध है, अतः अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–1) की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त करवाया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चूंकि अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.08.2022 को ही पारित हो चुका था तो 1½ माह पश्चात् तक भी

अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने का कोई उचित कारण प्रकट नहीं होता है।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायहित में प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–1) की पालना में अपीलार्थी को स्थानान्तरित स्थल सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज, कोटा के लिये कार्यमुक्त किया जावे।

उक्त निर्देश के साथ उक्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R